अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःएडीजी- 01 /2013

एच0सी0 अवस्थी,
आई.पी.एस.

अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकःलखनऊःनवम्बर २१ ,2013

विषय- अपराध नियन्त्रण, जन समस्या निराकरण एवं सम्प्रदायिक सौहार्द के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी जिलों के प्रभारी पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल प्रभावी अभियान चलाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को उक्त कार्ययोजना को सफल बनाने हेतु व्यक्तिगत ध्यान देना अपेक्षित हैः-

1.कम्युनिटी पुलिसिंग

(1) **पुलिस मित्रः-** बिना जनता के सहयोग से अपराध नियन्त्रण सम्भव नही है। अतः समाज के सम्भ्रान्त एवं स्वच्छ छवि के व्यक्तियों को "पुलिस मित्र" बनाया जाय। उनका नाम, पता, दूरभाष नम्बर बीट आरक्षी से लेकर थाना प्रभारी तक के पास रहे। समय-समय पर उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क एवं दूरभाष से वार्ता करके अपराधियों, सम्प्रदायिक समस्याओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करके त्वरित कार्यवाही की जाय। सम्प्रदायिक समस्याओं, जुलूस व त्योहारों आदि के समय उनका सहयोग लिया जाय।

(2) बीट-व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाय। आरक्षियों में बीट नाम वार आवटिंत किया जाय तथा उन्हे ब्रीफ किया जाय कि वे अपने क्षेत्र के अपराधियों, समस्याओं के बारे में थाना प्रभारी को अवगत करायें तथा बीट रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करायें। आरक्षीगण जब बीट से वापस लौटें उस समय थाना प्रभारी उनसे बीट के बारे में अवश्य बात करें।

(3) जन समस्याओं के निराकरण के बिना किसी भी क्षेत्र में शान्ति सम्भव नही है। छोटी-छोटी जन समस्यायें विराट रूप धारण कर लेती है। अतः जन समस्याओं के

निराकरण के लिए थाना स्तर पर विवाद रजिस्टरों को बीट आरक्षियों के माध्यम से अध्यावधि करा लिया जाय। मौके पर जाकर समस्याओं का निराकरण कराया जाय। आवश्यकतानुसार पक्षों को पाबन्द कराने की कार्यवाही, आवश्यकतानुसार शस्त्र जमा कराने आदि की कार्यवाही की जाय। पर्यवेक्षक अधिकारी समय-समय पर इसकी समीक्षा करते रहें।

(4) **सघन पेट्रोलिंगः-** सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एवं अपराध बाहुल्य क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग करायी जाय। आवश्यकतानुसार पिकेट भी लगाये जाय, जिससे जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस करें एवं आपसी सौहार्द का माहौल बनें।

2.पुलिस कर्मियों का सम्मेलनः- जिला एवं थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों का सम्मेलन किया जाय। अपराध नियन्त्रण एवं जनता की समस्या के निराकरण हेतु उन्हे संवेदनशील किया जाय। सम्मेलन के दौरान **उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण कराया जाय।**

3.कार्यशालाओं का आयोजनः- जिला एवं सर्किल स्तर पर पुलिस अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता को बनाये रखने के उद्देश्य से कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाय, जिसमें कानून में नये संशोधनों, विवेचना के दौरान अपनायी जाने वाली नई प्रक्रियायें, वैज्ञानिक ढ़ंग से विवेचना, घटना स्थल को सुरक्षित करने, मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों के बारे में जानकारी दी जाय। जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर राजपत्रित अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन कराया जाय, जिसमें ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों, विधि विशेषज्ञों, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों एवं अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया जाय।

4- अर्दली रूम का आयोजनः- अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की समीक्षा के लिए नियमित रूप से थानों पर अर्दली रूम का आयोजन किया जाय। जिसमें विवेचना का निस्तारण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, एन0बी0डब्लू0 की गिरफ्तारी सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही आदि की समीक्षा की जाय।

5- ऑगनबाड़ी कर्मी, आशा बहुएँ, चौकीदार, शिक्षामित्र, लेखपाल आदि जो सरकारी कर्मचारी हैं एवं सम्बन्धित गांव में ही निवास करते है। उन्हे गांव के अपराधियों एवं विवादों के बारे में जानकारी रहती है। उनका सहयोग लेकर सूचना तन्त्र को मजबूत करके अपराधों में अंकुश लगाया जाय तथा उनके माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सुरक्षा का वातावरण बनाया जाय।

6- थाना स्तर पर विवाद रजिस्टरों को बीट आरक्षियों एवं अपने सूचनातन्त्र के आधार पर अद्यावधिक कराया जाय तथा उन समस्याओं का समय रहते निराकरण कराया जाय, जिससे शान्ति-व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।

7- प्रचार-प्रसार तंत्र का प्रयोग करते हुये एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सामन्जस्य से पुलिस एवं जनसामान्य में विश्वास व सहयोग की भावना को प्रबल किया जाय। स्थानीय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे अपराध, शराबखोरी, ड्रगदुरूपयोग, वेश्यावृत्ति, जुआँ आदि के रोकथाम हेतु जन-जागरण कराया जाय। महिलाओं एवं निर्बल वर्ग के प्रति सम्मान एवं सुरक्षा का भाव उत्पन्न कराया जाय।

8- ग्राम सुरक्षा समितियों को क्षेत्र में पुनर्जीवित कराया जाय। उनकी बैठकों में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण द्वारा समयबद्ध रूप से भाग लिया जाय। ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों का मार्गदर्शन किया जाय, ताकि डकैती एवं साम्प्रदायिक विवाद के समय वे सम्यूक रूप से कार्य कर सकें।

9- जन चौपाल का आयोजन कराया जाय। जिसमें थाना प्रभारी से लेकर जनपद पुलिस अधीक्षक तक के सभी अधिकारी उपलब्धता के अनुसार भाग लें। चौपाल के माध्यम से जनता की पुलिस से सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाय एवं उनका निराकरण कराया जाय। चौपाल के माध्यम से जनता एवं पुलिस के मध्य संवाद कायम कर दूरी कम करके अपराध नियत्रंण में सहयोग लिया जाय एवं सुरक्षा का वातावरण सुदृढ़ किया जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाय एवं अनुपालन आख्या पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अवलोकनार्थ प्रत्येक दशा में दिनांक:04.12.2013 तक जनपदीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक जोन के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त हर पक्ष के अन्त में अनुपालन आख्या जनपदीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से इस मुख्यालय को प्रेषित करें।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक भी अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक भ्रमण करें एवं आवश्यकतानुसार जनसमस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित कार्यशालाओं, जन-चौपाल एवं पुलिस सम्मेलनों में भाग लें।

यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। अतः इसे कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय।

भवदीय,

21/11/13

(एच0सी0 अवस्थी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अवलोकनार्थ प्रेषित है:-

1.पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1.पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0।
3.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
4.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।